

04/1/2021


अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के पत्रांक-392/भू0सु0 दिनांक-29-12-2020 से बन्दोबस्ती केन्सीलेशन वाद अभिलेख प्राप्त हुआ है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा ने अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि मौजा-धरमुडीह, थाना नं0-520 के गैरमजरूआ खाता सं0-87 के अंदर दाग सं0-1292 कुल खतियानी रकवा-41-12-18 धुर, किस्म-परतीकदीम के रूप में सर्वे खतियान में दर्ज है। पंजी 2 के अवलोकन से पाया कि खाता सं0 87 के अन्दर रकवा-06-11-10 धुर भूमि श्रीधर पंडित, पिता-कन्हाई पंडित, सा0 गोड्डा के नाम से अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोबस्ती के 1 नं0-809/70-71 के आधार पर दर्ज है। जांच के क्रम में बन्दोबस्तदार मौजा-धरमुडीह का जमाबंदी रैयत नहीं है तथा इनका इस मौजा में निवास मकान भी नहीं है। उक्त जमीन पर बन्दोबस्तदार रैयत/वं 1ज का दखल-कब्जा/जोत कोड़ नहीं है। फोटो छायाप्रति संलग्न। उक्त बंदोबस्त भूमि पर इसी ग्राम के अन्य व्यक्ति का जोत कोड़ है। इसी ग्राम में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अत्यंत पिछड़ी जाति श्रेणी के भूमिहीन रैयत हाने के बाबजूद सामान्य श्रेणी के साथ भूमि बंदोबस्ती की गई है। संथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम-1949 की धारा-28 में वर्णित है कि उसी मौजा में निवास करने वाले जमाबंदी रैयत के साथ अनुसूचित जानजाति/अनुसूचित जाति/अत्यंत पिछड़ी जाति श्रेणी के भूमिहीन रैयत को प्राथमिकता देते हुए भूमि की बंदोबस्ती की जानी है। अतः संथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम-1949 की धारा-28 का अनुपालन नहीं करने एव धारा-33 (पांच वर्षों के अन्दर भूमि का जोत कोड़/दखल कब्जा नहीं रहने ) के कारण उक्त बंदोबस्ती रद्द करने की अनुांसा की गई है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा ने संथाल परगना का तकारी (पूरक) अधिनियम-1949 की धारा-28 एवं 33 के तहत मौजा-धरमुडीह, थाना नं0-520 के गैरमजरूआ खाता सं0-87 के अंदर दाग सं0-1292 किस्म-परतीकदीम में बंदोबस्त रकवा -06-11-10 धुर भूमि श्रीधर पंडित, पिता-कन्हाई पंडित के नाम से कायम अबैध/संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुांसा गया है।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के अनुांसा के आलोक में संथाल परगना का तकारी (पूरक) अधिनियम-1949 की धारा-28 एवं 33 के तहत मौजा-धरमुडीह, थाना नं0-520 के गैरमजरूआ खाता सं0-87 के अंदर दाग सं0-1292 किस्म-परतीकदीम में बंदोबस्त रकवा 06-11-10 धुर भूमि श्रीधर पंडित, पिता-कन्हाई पंडित के नाम से कायम अबैध/संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द किया जाता है।

अभिलेख अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर को भेजे एवं इसकी सूचना भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा को दें।

  
अनुमंडल पदाधिकारी  
गोड्डा।